प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज एवं
मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

संख्याः5/ 867/2017–5/141/2017 लखनऊ दिनांकः 20 मई, 2017

विषयः चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धातों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्याः 234/33–2016–2/2016 दिनांक 18.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

14वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदान के प्राविधान

1. उक्त शासनादेश के प्रस्तर(i) में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि उनके क्षेत्रान्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधाओं एवं स्वच्छता सुविधाओं आदि के निर्माण/रखरखाव पर व्यय किया जा सकता है। शासनादेश के प्रस्तर(ii) में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि को ग्राम पंचायतें उन मदों पर व्यय करेंगी जो नागरिकों के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वांछित हो तथा ऐसे कार्यो को प्राथमिकता दी जाएगी जो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित हो तथा जिनका प्रतिनिधायन ग्राम पंचायतों को किया गया है। उल्लेखनीय है कि 11वी अनुसूची में प्राविधानित ग्रामीण स्वच्छता एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौपा गया है।

राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुदान के प्राविधान

2. उक्त के अतिरिक्त चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के उपभोग हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर–2(2.1) में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रति वर्ष सक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पंचायत की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रख–रखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति एवं मरम्मत की आवश्यकता

3. आप अवगत हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की अनुपलब्धता एवं उसके रखरखाव के अभाव में बच्चों, विशेष रूप से छात्राओं को व्यापक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप कुछ छात्राएं बीच में ही ड्राप आउट कर जाती हैं और भविष्य में शिक्षा से बंचित हो जाती हैं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विद्यालयों में शौचालय तो निर्मित हैं परन्तु उन्हें बाल उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से प्रमुख रूप से जो कमियां दृष्टिगोचर हुई हैं, वह निम्नलिखित हैः–

- छात्रों व छात्राओं के लिए पृथक से शौचालय व मूत्रालय इकाइयों का न होना।

- छात्रों व छात्राओं की संख्या के अनुपात में शौचालय व मूत्रालय इकाइयों में कमी।
- शौचालयों व मूत्रालयों में जलापूर्ति एवं हाथ धोने की सुविधाओं का अभाव।
- शौचालयों एवं मूत्रालयों को छात्रों एवं विशेष तौर पर छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुरूप न बनाया जाना।
- रखरखाव एवं मरम्मत के अभाव में टूटी–फूटी जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाएं।
- शौचालयों की साफ–सफाई की ठोस व्यवस्था का न होना।

4. आपको अवगत कराना है कि विद्यालयों में स्थित शौचालय ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित सामुदायिक परिसम्पत्तियां है जिनकी मरम्मत एवं व्यवस्थित रखरखाव का उत्तरदायित्व भी ग्राम पंचायतों का है। अतः ग्राम पंचायतों में स्थित प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में स्थित शौचालयों की मरम्मत एवं आवश्यक रखरखाव करने एवं प्रस्तर–4 में उल्लिखित कमियों को दूर कराए जाने के उद्देश्य से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

कार्ययोजना एवं एम.आई. एस. द्वारा अनुश्रवण

5. स्कूल शौचालयों की मरम्मत/रखरखाव/जीर्णोद्धार की कार्ययोजना को गाइडलाइन्स के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने एवं एम.आई.एस. द्वारा अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

5.1 शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। इस क्रम में शासनादेश संख्या–2618/33–3–2015–10जी.आई./2015 दिनांक 29.09.2015 द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा स्कूल शौचालयों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर उसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायतों को यह सलाह दिया जाना उचित होगा कि राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की धनराशि से स्कूल शौचालयों की मरम्मत, जीर्णोद्धार के कार्य को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जाए तथा कार्ययोजना को प्लानप्लस साफ्टवेयर पर फीड कराते हुए आनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए। चूंकि शासनादेश संख्या–3/2016/2038/33–1–2016 दिनांक 22.11.2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0–2.00 लाख तक की लागत के कार्यो की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभाओं में निहित है अतः इस लागत तक के कार्य की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की बैठक में की जायेगी।

5.2 प्लान प्लस एप्लीकेशन से स्वीकृत कार्ययोजना एक्शन साफ्ट पर आनलाइन पोर्ट की जाएगी तथा कार्य के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि एवं कार्यो की प्राथमिकतानुसार मैपिंग एक्शन साफ्ट पर किया जाएगा तथा इस कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति फीड की जाएगी।

5.3 इस प्रकार व्यय की गई धनराशि के बाउचर फीडिंग का कार्य प्रिया साफ्ट पर वर्क आई.डी. के सापेक्ष आनलाइन किया जाएगा।

5.4 स्कूल शौचालय के मरम्मत के कार्य की भौतिक प्रगति दर्शाने हेतु नेशनल एसेट डाइरेक्टरी पर फीड कर स्थिति का अक्षांश–देशांश मैप किया जाना अनिवार्य होगा।

स्कूल शौचालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाए

6. स्कूल शौचालयों को बालकों एवं बालिकाओं के लिए उपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से उसमें निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेंगी:–

6.1 यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल शौचालय चाइल्ड फ्रेंडली हो। छात्रों एवं छात्राओं हेतु अलग–2 इकाइयों की व्यवस्था की जाए तथा यह प्रयास किया जाए कि छात्र व छात्राओं की शौचालय इकाईयों के प्रवेश द्वार पृथक दिशा में हो। मरम्मत/जीर्णोद्धार में छात्रों व छात्राओं की संख्या के अनुपात में शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.2 स्थल चयन विशेष रूप से बालिकाओं के दृष्टिकोण से सुरक्षित एवं उपयुक्त हो तथा भूमिगत पेयजल स्रोत से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर हो। शौचालय को जाने वाला रास्ता साफ़–सुथरा, सुरक्षित एवं अच्छा होना चाहिए।

6.3 शौचालय में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश हो तथा जाली/वेन्टिलेशन की व्यवस्था इस प्रकार हो कि पर्याप्त मात्रा में वायु शौचालय में आए। शौचालय के अन्दर का वातावरण उपयोग हेतु सुरक्षित हो।

6.4 शौचालय का निर्माण तकनीकी रूप से सही हो तथा उनका निर्माण/मरम्मत /जीणोद्धार स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से ही कराया जाय।

6.5 वाशबेसिन में हाथ धोने हेतु आवश्यकतानुसार टाइल्स लगाकर साबुन रखने की व्यवस्था की जाए।

6.6 शौचालय व मूत्रालय को दुर्गन्ध रहित करने के लिए टाइल्स की फिटिंग करा ली जाए। टाइल्स पूरे फर्श में तथा दीवारों पर अधिकतम 2 फीट तक ही कराया जाए।

6.7 शौचालय में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु फोर्स लिफ्ट पाइप स्थापित कराते हुए शौचालय व मूत्रालय में नल की व्यवस्था एवं हैण्डवाशिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए। शौचालय में बाल्टी एवं मग की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

6.8 बालिका शौचालय में लगभग 3 फीट की ऊचाई पर हुक लगाने से दुपट्टा टांगने में सुविधा होगी तथा हुक के पास एक दर्पण भी लगाया जाना उचित होगा।

6.9 जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूल एवं अन्य कालेजों के बालिका शौचालयों में मेन्सट्रुअल हाइजिन के उद्देश्य से इन्सीनिरेटर का निर्माण करा लिया जाए।

6.10 दिव्यांग छात्रों एवं छात्राओं हेतु निम्नलिखित आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाय:–

- व्हील चेयर के लिए मजबूत एवं समुचित चौड़ाई सहित चिकनी सतह वाले रैम्प का निर्माण।
- शौचालय का दरवाजा इतना चौड़ा हो कि इसमें व्हीलचेयर का प्रवेश हो सके।
- नेत्रहीनों के लिए सुविधाजनक रेलिंग का प्रयोग होना चाहिए।
- शौचालय में जलापूर्ति नेत्रहीन और चलने में दिव्यांगों की सुविधा की दृष्टिकोण से सुलभ होना चाहिए।
- पानी की बाल्टी या मग सुविधाजनक उँचाई पर रखा जाना चाहिए।

6.11शौचालय की दीवारों की रगांई–पोताई आकर्षक हो तथा उस पर स्वच्छता संबंधी चित्रण एवं लेखन भी कराया जाये।

6.12 स्कूल शौचालयों के निर्माण/मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के आई.ई.सी. मद से राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराया जा सकता है, जिसमें दिव्यांगों की सुविधाओं हेतु बनाये जाने वाली संरचनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

6.13 स्कूल शौचालयों के सम्बन्ध में यूनीसेफ के सहयोग से पंचायतीराज निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी सन्दर्भ पुस्तिका को ध्यान में रख कर मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाये।

स्कूल शौचालयों की साफ–सफाई एवं रखरखाव

7. शासनादेश संख्या–2618/33–3– 2015–10जी.आई./2015 दिनांक 29.09.2015 द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा स्कूल शौचालयों के रखरखाव एवं साफ–सफाई के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी:–

7.1 स्कूल शौचालयों के दैनिक रख–रखाव व पर्यवेक्षण, सफाई एवं उपयोगी सामग्री यथा बाल्टी, मग एवं ब्रश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु ग्राम पंचायत एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाया जाये।

7.2शासनादेश संख्या–3176/33–1–2010 दिनांक 25.10.2010 द्वारा पंचायतीराज विभाग के अधीन कार्यरत सफाई कर्मियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि उनके द्वारा प्रतिदिन विद्यालयों के बाहरी एवं भीतरी परिसर के साथ–साथ स्कूल शौचालयों की भी सफाई सुनिश्चित की जाय।

7.3 स्कूल शौचालयों के रख–रखाव हेतु किसी अध्यापक को प्रभारी बनाया जाय जो प्रतिदिन प्रातः विद्यालय खुलने के साथ सफाईकर्मी से शौचालय की सफाई कराने तथा स्कूल अवधि के उपरान्त शौचालय में ताला लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाये।

ज्ञय

7.4 ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, पंचायत सचिव एवं ग्राम चौकीदार को यह जिम्मेदारी दी जाये कि स्कूल शौचालय का प्रयोग गांव के अन्य लोग न करें।

7.5 प्रत्येक विद्यालय में स्कूल शौचालयों की देखरेख में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु बाल निगरानी समिति का गठन किया जाए।

अनुश्रवण एवं सत्यापन

8. स्कूल शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के प्रभावी अनुश्रवण के दृष्टिकोण से जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

8.1 प्रस्तर–6 में उल्लखित सभी कार्य प्रधानाध्यापक, पंचायत सचिव, एवं ग्राम प्रधान द्वारा अभियान चलाकर पूर्ण कराया जाए।

8.2 अभियान को अपेक्षित गति प्रदान करने एवं विद्यालयवार प्रगति का अनुश्रवण करने हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।

8.3 सर्व प्रथम खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों/ग्रामों में स्थित विद्यालयों का संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर प्रधानाध्यापक से सत्यापन कराकर यदि कोई कमी पाई जाए तो उसे 15 दिन में ठीक करा लिया जाए।

8.4 अन्य ग्राम पंचायतों/ग्रामों में स्थित स्कूल शौचालयों का सत्यापन भी संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर कराकर यदि कोई कमी पायी जाये तो उसे 31 जुलाई, 2017 तक ठीक करा लिया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः 1. बालमैत्रिक शौचालय सन्दर्भ पुस्तिका।
2. चेकलिस्ट।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्याः 5/867(1)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
3–निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4.–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

ओ.डी.एफ. ग्रामों में स्कूल शौचालय के सत्यापन हेतु चेक लिस्ट

जनपद..... विकास खण्डः ..... ग्राम पंचायतः .....

विद्यालय का नामः .....

क्र.	शौचालय जॉच के बिन्दु	विकल्प
क	छात्रांकन	
	छात्र	संख्या
	छात्रा	संख्या
	कुल–	संख्या
ख	शौचालय की संख्या	
	छात्रों हेतु	संख्या
	छात्राओं हेतु	संख्या
	योग–	संख्या
ग	मूत्रालय की संख्या	
	छात्रों हेतु	संख्या
	छात्राओं हेतु	संख्या
	योग–	संख्या
घ	शौचालय का दरवाजा	
	1. दरवाजा की गुणवत्ता	अ/ख/सा
	2. सिटकनी की ऊचाई ठीक हैं?	हाँ/नहीं
ङ	राजमिस्त्री का कार्य	
	1. प्लास्टर की गुणवत्ता	अ/ख/सा
	2. पुताई की गुणवत्ता	अ/ख/सा
	3. दीवाल पर 2 फिट तक तथा फर्श पर टाइल्स लगा है?	हाँ/नहीं
	4. शौचालय के फर्श की ढ़ाल ठीक हैं?	अ/ख/सा
	5. ग्रामीण पैन	हाँ/नहीं
	6. पैन दीवाल से 20–25 सेमी दूरी पर लगा है?	हाँ/नहीं
	7. पावदान डिजाइन के अनुसार ठीक स्थान पर लगा है?	हाँ/नहीं
	8. जंक्शन चैम्बर सही बना है या नही?	हाँ/नहीं
	9. लीचिंग पिट की संख्या	1/2
	10. लीचिंग पिट की गुणवत्ता	अ/ख/सा
	11. मूत्रालय सोख्ता गडढ़ा से जुड़ा है?	हाँ/नहीं
	12. मूत्रालय की फर्श पर टाइल्स लगी है?	हाँ/नहीं
	13. मूत्रालय की कनेक्टिंग पाइप भूमिगत है?	हाँ/नहीं
	14. छत निर्माण की गुणवत्ता	अ/ख/सा

ङ	अन्य सुविधाए	
	1. फोर्स लिफ्ट हैण्डपम्प द्वारा जल भण्डारण की व्यवस्था उपलब्ध है?	हाँ/नहीं
	2. क्या टंकी ढ़की है?	हाँ/नहीं
	3. शौचालय तथा मूत्रालय में जलापूर्ति है?	हाँ/नहीं
	4. क्या वाशबेसिन है?	हाँ/नहीं
	5. छात्राओं की इकाई में दर्पन लगा है?	हाँ/नहीं
	6. छात्राओं की इकाई में दुपट्टा टांगने का हुक लगा है?	हाँ/नहीं
	7. रोशनदान की व्यवस्था कैसी है?	अ/ख/सा
छ	अन्य महत्वपूर्ण विवरण	
	1. पेयजल स्रोत से शौचालय गडढ़े की दूरी	मीटर
	2. शौचालय में दिव्यांगों हेतु सुविधाएं है या नही	हाँ/नहीं
	3. क्या शौचालय चाइल्ड फ्रेन्डली है	हाँ/नहीं
	4. शौचालय प्रयोग में है या नहीं	हाँ/नहीं
	5. शौचालय की सफाई हो रही है या नहीं	हाँ/नहीं

हस्ताक्षर

नाम

प्रधानाध्यापक

प्राथमिक/अपर प्राथमिक विद्याल